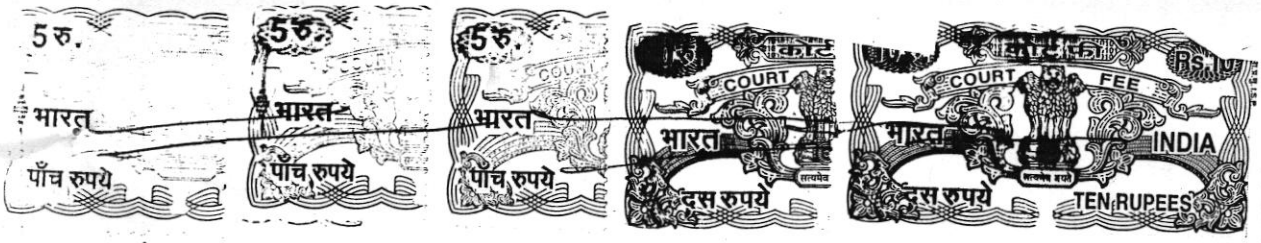

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक /2016-17 निगरानी

महेन्द्र शर्मा पुत्र श्री बेनीप्रसाद शर्मा आयु 35साल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कोठीघार, तहसील व जिला विदिशा म.प्र. . . . . निगरानीकर्ता

बनाम

1: चन्दनसिंह पुत्र श्री मुरलीसिंह रघुवंशी निवासी ग्राम कोठीचारकलॉ तहसील व जिला विदिशा म.प्र.

2- म0प्र0शासन ---- गैरनिगरानीकर्ता.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 28.06.2016 जिसकी नकल -दिनांक 11.08.16को प्राप्त हुई पारित न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय विदिशा के प्रकरण क्र. 11/ए-5/14-15 व मामले महेन्द्र शर्मा बनाम चन्दनसिंह /

==========

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की निगरानी निम्नप्रकार प्रस्तुत है :--

इस निगरानी के तथ्य संक्षेप में इसप्रकार हैं कि निगरानीकर्ता ने ग्राम खिरिया तहसील व जिला विदिशा की आराजी नंबर 37 व 38 का भूमिस्वामी बताते हुए नक्शे में इस बाबत दुरूस्ती करने का आवेदन दिया था कि खाना नंबर 10 में गलत रूपसे रास्ता उल्लेखित करदिया गया है, जबकि मौकेपर कोई रास्ता नहीं है एवं न ही रास्ते का कोई बजूद या निशान है, किन्तु अधिनस्थन्यायालय ने केवल रिस्पांडेंट की जबावदेही के आधार पर यह मान लिया कि आराजी नंबर 37 में रास्ता है क्योंकि रिस्पांडेंट उसका उपयोग कर रहा है एवं इस आधार पर धारा 107 म.प्र.भू.रा.संहिता का आवेदन निगरानीकर्ता का निरस्त करदिया, उससे दुखित होकर निगरानीकर्ता उक्त निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है :--

(1) यहकि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश पूर्णत: विधि विधान एवं

XXIX(a)-BR(H)-11

320

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3629-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-१-१९ को आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	